



75  
आजादी का  
अमृत महोत्सव

भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

पंजीकृत पावती  
उल्लंघन पत्र  
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,  
Makhupura Industrial Area  
अजमेर.-305 002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)  
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

Mine Code: 34RAJ06001

संख्या : RAJ/BHL-56/PB-ZN-01/Vol-II

दिनांक : 06.09.2022

प्रेषित : माइन एजेंट, रामपुरा आगुचा लेड जिंक माइन,  
मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, गाँव-रामपुरा, तहसील-हुरडा,  
जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान) 311029

Email: kishore.s@vedanta.co.in, sanjay.sharma@vedanta.co.in

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Rampura Agucha Lead Zinc Mine** (Lease area 1200.00Hect.) situated in Bhilwara District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 13.07.2022 by the undersigned in presence of Shri Sachin M Deshmukh, Mine Manage & Shri Ranjan Gupta, Geologist:

Rule No.	Nature of violation observed in detail						
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modification in Review of Mining Plan (Approved on 27.03.2018): - 1) <table border="1"><thead><tr><th>Year</th><th>Proposed Development(m)</th><th>Actual Development(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021-22</td><td>35943</td><td>29107</td></tr></tbody></table> <p>It shows that shortfall in underground mine development.</p> <p>2) During the stoping inspection, it was observed that ventilation condition was poor at -405mRL level.</p>	Year	Proposed Development(m)	Actual Development(m)	2021-22	35943	29107
Year	Proposed Development(m)	Actual Development(m)					
2021-22	35943	29107					

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, भीलवाड़ा।
- 4 रक्षित पत्रावली।

की.प.

की.प.

भवदीय  
06/09/2022  
( डी. आर. गुर्जर )  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

06/09/2022  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो